<u>न्यायालय : शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :- 558 / 2017) (संस्थित दिनांक :- 30 / 10 / 2017)

<u>(सास्थत । दनाक :- 30 / 10 / 201</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

- 01. केशव सिंह गुर्जर पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 57 वर्ष।
- 02. सतेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 37 वर्ष।
- 03. दशरथ सिंह गुर्जर पुत्र नाथू सिंह गुर्जर, उम्र 23 वर्ष। निवासीगण :- ग्राम कतरौल, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

.....अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 06/06/2018 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण केशव, सतेन्द्र एवं दशरथ पर भा.द.सं. की धारा 324 अथवा 324/34 के अन्तर्गत आरोप हैं कि अभियुक्तगण ने दिनांक :— 18/10/2017 की सुबह लगभग 08:00 बजे आरोपी का गौड़ा स्थित ग्राम कतरौल में, फरियादी परिमाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त दशरथ ने धारदार आयुध हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की?
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को उक्त राजीनामा के आधार पर शमनीय अपराध अन्तर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। यह निर्णय मात्र धारा 324 अथवा 324/34 भा.द.सं. के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 18/10/2017 की सुबह लगभग 08:00 बजे आरोपी का गौड़ा स्थित ग्राम कतरौल में, अभियुक्तगण द्वारा फरियादी परिमाल से गाली—गलौच करने, उसकी, धारदार आयुध हिसया, लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी परिमाल द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 258/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आहत परिमाल के मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट में धारदार आयुध से चोट पहुँचाये जाने का उल्लेख होने के

कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक :— 18 / 10 / 2017 की सुबह लगभग 08:00 बजे आरोपी का गौड़ा स्थित ग्राम कतरौल में, फरियादी परिमाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त दशरथ ने धारदार आयुध हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी / आहत परिमाल अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण केशव, दशरथ एवं सतेन्द्र गुर्जर को जानता है, वह उसके गांव के ही है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 06 / 06 / 2018 से लगभग सात-आट माह पहले की होकर सुबह लगभग 08-09 बजे की है। उस समय वह अपने घर पर अपना मकान बनवा रहा था, तभी खेत के विवाद के उपर आरोपीगण उसे मॉ-बहन की गालियाँ देने लगे एवं उसकी लात-घूसों से मारपीट की दी थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा–मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी परिमाल अ.सा.01 ने दिनांक :- 18/10/2017 की सुबह लगभग 08:00 बजे आरोपी का गौड़ा स्थित ग्राम कतरौल में, अभियुक्त दशरथ द्वारा धारदार आयुध हसिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी परिमाल अ. सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी / आहत परिमाल अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण ने दिनांक :— 18/10/2017 की सुबह लगभग 08:00 बजे आरोपी का गौड़ा स्थित ग्राम कतरौल में, फरियादी परिमाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त दशरथ ने धारदार आयुध हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की।
- 09. अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 अथवा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324 अथवा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. प्रकरण में अभियुक्त दशरथ से जब्तशुदा हिसया एवं अभियुक्त सतेन्द्र से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अविध पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(शिवानी शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद